

# आपका स्वास्थ्य और रोजगार

## कर्मचारियों के लिए मुख्य जानकारियां

यदि किसी कर्मचारी को बुखार या अन्य लक्षण प्रतीत होते हैं तो उसे क्या करना चाहिए?

यदि कोई कर्मचारी को खाँसी, बुखार, या साँस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण दर्शाता है, तो उसे दूसरों से दूर रहना चाहिए और तुरंत कतर के COVID-19 हॉटलाइन नंबर 16000 पर संपर्क करना चाहिए।

आपातकाल की स्थिति में कर्मचारी को 999 पर कॉल करके एम्बुलेंस हेतु अनुरोध करना चाहिए।

यदि किसी कर्मचारी के पास हेल्थ कार्ड (स्वास्थ्य परिचय-पत्र) नहीं है, तो उसे क्या करना चाहिए?

वर्तमान संकट के दौरान परीक्षण तथा/या उपचार प्राप्त करने के लिए कोई भी स्वास्थ्य कार्ड एवं /अथवा QID आवश्यक नहीं है। ये सेवाएं सरकार द्वारा मुफ्त में प्रदान की जा रही हैं।

किसी कर्मचारी को आत्म-निर्वासन (सेल्फ-आइसोलेशन) में कब जाना चाहिए?

किसी कर्मचारी को आत्मनिर्वासन में जाने का निर्णय लेना तथा 'कोविड-19' हॉटलाइन नंबर 16000 पर कॉल तब लगाना चाहिए यदि वह :

- 'कोविड-19' के किसी भी लक्षण जैसे कि- खाँसी, बुखार, या साँस लेने में कठिनाई को महसूस करता हो।
- 'कोविड-19' के सकारात्मक लक्षण वाले किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आया हो, भले ही संपर्क के समय उसमें बीमारी का कोई लक्षण नहीं दिखा रहा हो।
- हाल ही में ऐसे देश से वापस आया हो, जहाँ यह बीमारी का व्यापक रूप से फैली हुई है।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया जन स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट [www.moph.gov.qa/](http://www.moph.gov.qa/) को देखें।

कर्मचारियों को आत्म-निर्वासन (सेल्फ-आइसोलेशन) में कब रखा जाएगा?

किसी कर्मचारी को सरकारी अधिकारियों द्वारा अलगाव में रखा जा सकता है, जब वे स्वयं के 'कोविड-19' परीक्षण के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हो, यदि यह विश्वस्त हो जाता है कि उन्हें 'कोविड-19' हो सकता है (यदि उनमें कोई लक्षण प्रदर्शित होते हैं या वे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क में रहे हो हैं जिसे 'कोविड-19' संक्रमण है)।

यदि किसी कर्मचारी का 'कोविड-19' परीक्षण सकारात्मक आता है, तो क्या होगा?

किसी भी कर्मचारी /वर्कर का 'कोविड-19' परीक्षण सकारात्मक पाया जाने पर उसे मुकेनी क्षेत्र के क्वारंटाइन (संगरोध) केंद्रों में रखा जाएगा और उसे सभी आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल, भोजन और आवास मुफ्त में प्रदान किए जाएंगे।

कर्मचारियों के लिए एक सहभागित/साझे निवास में आइसोलेशन या क्वारंटाइन (अलगाव या संगरोध) की व्यवस्था करने के लिए कौन उत्तरदायी है?

जनस्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत इस संकट प्रबंधन के लिए बनायी गयी सुप्रीम कमेटी की देखरेख में काम करने वाली एक विशेष चिकित्सकीय टीम कर्मचारियों के लिए एक सहभागित/साझे निवास में आइसोलेशन या क्वारंटाइन (अलगाव या संगरोध) की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी है। कर्मचारी के आइसोलेशन या क्वारंटाइन (अलगाव या संगरोध) की व्यवस्था के लिए नियोक्ता उत्तरदायी नहीं है।

क्या आवश्यकता पड़ने पर बिना वैध QID के उपचार प्राप्त कर पाएंगे?

सभी कर्मचारी /वर्कर्स को सभी आवश्यक उपचार मुफ्त में प्राप्त होंगे, और ऐसे समय में उनका पद प्रासंगिक नहीं है।

क्या आइसोलेशन, क्वारंटाइन (अलगाव, संगरोध) या उपचार प्राप्त करने के दौरान भी कर्मचारियों को वेतन-भुगतान किया जाएगा?

आइसोलेटेड, क्वारंटाइन (अलगाव, संगरोध) या उपचारित सभी कर्मचारियों को इस स्थिति में भी उनके मूल वेतन का भुगतान किया जाएगा और वे सम्बंधित भत्ते प्राप्त करते रहेंगे ; चाहे वे अस्वस्थता अवकाश के लाभ के हकदार हों या ना हो ।

क्या सेक्टरों में काम करने वाले उन कर्मचारियों को भी अपना मूल वेतन और भोजन और आवास जैसे अन्य भत्ते प्राप्त होंगे जो सेवाओं को बंद करने संबंधी सरकारी निर्देशों का पालन कर रहे हैं?

हां, सभी कर्मचारी अभी भी अपने नियोक्ता से अपने मूल वेतन और भत्ते प्राप्त करते रहेंगे।

क्या इस संकट के कारण कर्मचारियों के अनुबंध समाप्त किए जा सकते हैं?

नियोक्ताओं को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार है। हालांकि, रोजगार समाप्ति को श्रम कानून और अनुबंध की शर्तों के अनुपालन में पूर्ण किया जाना चाहिए, जिसमें नोटिस की अवधि और सभी लंबित अधिकारों के भुगतान के साथ ही कर्मचारी की उसके संबंधित देश वापसी का टिकट खर्च भी सम्मिलित है।

क्या कर्मचारी को उनके द्वारा कार्य ना किए गए समय को कवर करने के लिए या कंपनी द्वारा उनसे कम सेवाएँ लेने की स्थिति में वार्षिक -अवकाश का उपयोग करने या अवैतनिक-अवकाश लेने का अनुरोध किया जा सकता है?

वर्तमान परिस्थिति में किसी भी व्यवसाय एवं रोजगार के अस्तित्व को दीर्घकालीन स्थिति में देखते हुए यह आवश्यक है कि दोनों पक्षों के लाभ को बनाए रखते हुए क्षति को यथासंभव कम करके सहयोग दिया जाए। इसलिए, नियोक्ता और कर्मचारी आपसी रूप से सहमत हो सकते हैं कि यदि व्यवसाय रुका हुआ है और कर्मचारी को कोई कार्य नहीं सौंपा जाता है तो कर्मचारी अवैतनिक अवकाश लेते हैं या अपने वार्षिक अवकाश का उपयोग करते हैं, । हालांकि, नियोक्ताओं को आवास और भोजन सहित अन्य सभी लाभ प्रदान करते रहना चाहिए।

यदि कर्मचारी देश से बाहर हैं और वापस लौटने में असमर्थ हैं तो यह उनके रोजगार की स्थिति को कैसे प्रभावित करेगा?

नियोक्ता और कर्मचारी को काम की परिस्थितियों और इसके लाभों पर चर्चा करनी चाहिए। कर्मचारी अनुबंध के किसी भी प्रकार के समायोजन से मना करने का हकदार है। कर्मचारी की रोजगार समाप्ति की जाने की स्थिति में यह पूरी तरह से श्रम कानून और अनुबंध की शर्तों के अनुपालन में किया जाना चाहिए, जिसमें नोटिस अवधि और सभी लंबित अधिकारों का भुगतान शामिल है।

यदि अल्प सरकारी सेवाओं की अवधि के चलते विज्ञा और QID समाप्त हो जाते हैं, तो क्या वीजा और QID को अपने आप से बढ़ाया जाएगा?

विज्ञा को बढ़वाने करने के लिए (या इसकी स्थिति की जाँच करने के लिए) इस लिंक का अनुसरण करें: <https://portal.moi.gov.qa/visitvisaextension>

QID को बढ़वाने के लिए (या इसकी स्थिति की जांच करने के लिए) कृपया मेत्राश2 ऐप का उपयोग करें।

कृपया अद्यतित जानकारी के लिए आंतरिक मंत्रालय की वेबसाइट को देखें।

क्या घर में कार्यरत घरेलू कर्मचारियों पर भी यही स्थितियाँ लागू होती हैं?

उपरोक्त सभी जानकारियां घरों में कार्यरत घरेलू कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होती है।

यदि कर्मचारियों को इस दौरान उनके रोजगार या आवास के बारे में कोई शिकायत या समस्या है तो वे क्या कर सकते हैं?

कर्मचारियों को 16008 पर या [info@adlsa.gov.qa](mailto:info@adlsa.gov.qa) पर ईमेल द्वारा प्रशासनिक विकास, श्रम और सामाजिक मामलों के मंत्रालय से संपर्क करना चाहिए।